न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 97/2015
दायर दिनांक : 09/09/.2015
निर्णय दिनांक : 12/04/2022

उनवान

1. किशनलाल पिता शंकर सुथार निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
   1 (1) मोहनलाल पिता किशनलाल सुथार निवासी आकोला
   1 (2) बद्रीलाल पिता किशनलाल सुथार निवासी आकोला
   1 (3) गणपत पिता किशनलाल सुथार निवासी आकोला
   1 (4) देऊबाई पत्नी किशनलाल सुथार निवासी आकोला
2. रामचन्द्र पिता शंकर सुथार निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर
2. गौतम पिता वीरभाण कुम्हार निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136

उपस्थिति : 1. श्री रामलाल गुर्जर वादी वकील
2. पैरोकार सरकार

: : निर्णय : :

प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां विचाराधीन अपील सं. 230/07/डिकी में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2008 से प्रतिप्रेषित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। वाद में वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् ईस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

यह है कि मौजा आकोला तहसील कपासन में साबिक पैमायश की आ.सं. 3818/3 रकबा 3 बीघा वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की हैं तथा [illegible] की आ.सं. 3818 में से आवंटित की गई थी व मौके पर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया गया था जो [illegible] आ रहा है। उक्त आराजी के हाल नंबर 6342 रकबा 0.59 है. आ.सं. [illegible] बने [illegible] और इस पैमायश में उक्त आराजियात में से आ.सं. 6342 तो हम वादीगण के [illegible] 6344 को बिलानाम गै.का.काश्त दर्ज कर दिया जो गलत है तथा आ.सं. [illegible] 0.06 है. गलती से वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.04.20 11:58:49 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

नाम पर दर्ज कर दी है जो गलत है चूंकि आ.सं. 6341 पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है व उक्त आराजी पर कब्जा प्रतिवादी नं. 2 गौतम पिता वीरभाण कुम्हार का है। इस प्रकार आ.सं. 6341 गलती से वादीगण के नाम पर दर्ज हो गई है व आ.सं. 6344 भूलवश वादीगण के बजाय बिलानाम अंकित कर दी है, अतः इसकी दुरूस्ती की जाना आवश्यक है। उक्त आराजियात के पडौस निम्न है – पूर्व : सरकारी जमीन व सड़क आकोला से ताणा, पश्चिम – गौतम कुम्हार की कब्जेशुदा जमीन नं. 6341, उत्तर – वादीगण की अन्य आ.सं. 6331, दक्षिण – आ.सं. 6345, 6346, 6347, 6348, 6338 जो बाडों के रूप में है। उक्त आराजी को साबिक आ.सं. 3818 में से आवंटित की गई थी व उसका बटा नंबर 3818/3 डाला गया है मगर इसी नंबर में से भैरा पिता लखमा भी को भी 19 बिस्वा जमीन आवंटित की और उसका नंबर भी 3818/3 डाल दिया गया था और उसकी जमीन अलग जगह है और वर्तमान में उसका नंबर 6195 रकबा 0.39 है. होकर उसके नाम दर्ज है और वादीगण की उक्त जमीन का मिलान शीट में साबिक नंबर 3818/4 व 3818 मी. बताया गया है। हाल आ.नं. 6344 बिलानाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादी नं. 1 वादी के विरूद्ध नाजायज कब्जा की कार्यवाही कर पेनेल्टी वसूल करने व बेदखल करने पर आमादा है, जो गलत है और उनको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है अन्यथा वादीगण को बेदखल कर दिया गया तो उनको असीमित–क्षति व भारी असुविधा होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं की जा सकेगी। उक्त आ.सं. 6344 पर वादीगण का पुराना कब्जा है व चारदीवारी बना रखी है व इसमें आरामशीन लगा रखी है व इसके लिए भूमि रूपान्तरण भी कराना है मगर रिकार्ड की गलती से बिलानाम दर्ज कर दिये जाने से यह संभव नहीं हो रहा है और प्रतिवादी को इन्द्राज दुरूस्ती कहा तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में दावा करने की सलाह दी अतः यह दावा पेश किया जा रहा है। बिनाय दावा दिनांक 15.01.2004 को पैदा हुई है व निरन्तरण पैदा हो रही है। राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मु. नं. 230/2007 रे.अ. में निर्णय दिनांक 26.09.2008 के निर्देशानुसार प्रतिवादी नं. 2 श्री गौतम पिता वीरभाण कुम्हार निवासी आकोला को पक्षकार बनाया गया है। अतः वादीगण का निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किए जाने की डिकी प्रदान की जावे कि मौजा आकोला की आ.सं. 6342, 6344 जो साबिक आ.सं. 3818 के जुज रकबे से बने हैं तथा वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त में है व इनमें से आ.सं. 6344 बिलानाम दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। अतः इसको दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज वह इन्द्राज गलत है, अतः वादीगण का नाम हटाया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की प्रदान की जावे कि जैरबहस आ.सं. 6344 से वे वादीगण को बेदखल नहीं करने व पेनेल्टी वसूली की कार्यवाही नहीं करें।

उक्त प्रकरण पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन के यहां विचाराधीन रहा है, जिसमें निर्णय दिनांक 28.11.2006 को पारित किया गया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर वादीगण के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां अपील सं. 230/07/डिकी प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के द्वारा उक्त अपील में निर्णय दिनांक 26.09.2008 को पारित कर प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि 'अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उक्त निर्णय/डिकी की प्रति उपलब्ध नहीं है, इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 6341 पर गौतम पिता वीरभाण कुम्हार का काबिज होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उसे वाद में पक्षकार बनाया जाना भी आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन पर ध्यान दिये बिना वादीगण का वाद खारिज करने में भूल की है, जिससे उनके द्वारा [illegible] है। फलस्वरूप यह अपील स्वीकार योग्य है, लेकिन इस प्रकरण में पूर्व में पारित नि[illegible] की प्रति जिसका उल्लेख पटवारी हल्का ने अपने प्रतिवेदन में किया है, [illegible] पिता वीरभाण कुम्हार को वाद में पक्षकार बनाकर साक्ष्य एवं सुनवाई के [illegible] अपेक्षित होने से प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना भी आवश्यक है। [illegible] कलेक्टर, कपासन के निर्णय व डिकीय दिनांक 28.11.2006 निरस्त किये जाते हैं और प्रकरण उपर्युक्त [illegible]षण के संदर्भ में पुनः कार्यवाही की जाकर सुनवाई के पश्चात दुबारा निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रे[illegible] किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.04.20 11:38:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

उक्त प्रकरण प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं. 2 श्री गौतम पिता वीरभाण कुम्हार निवासी आकोला को सम्मन जारी कर तलब किया गया एवं वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार, भूपालसागर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब दिनांक 26.07.2011 को प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित समस्त बिंदुओं को स्वीकार किया। तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त कमिश्नर रिपोर्ट में बताया कि मोजा आकोला के हाल आ.न. 6341 रकबा 0.06 हेक्टेयर किस्म बारानी । आ.न. 6342 रकबा 0.59 हेक्टेयर किस्म बारानी। राजस्व रेकार्ड अनुसार वर्तमान में श्री रामचन्द्र पिता शंकर मोहनलाल, बद्रीलाल, गणपत पिता किशना देउबाई पति किशना सुथार नि. आकोला के नाम दर्ज है तथा आ.न. 6344 रकबा 0.08 हेक्टेयर किस्म उसर बिलानाम सरकार के रूप में दर्ज है। यह कि उक्त आराजीयात की मिलान क्षेत्रफल से जांच करने पर स्थिति निम्नानुसार है–

हाल		साबिक	
आ.न.	रकबा(हक्टै.)	आ.न.	रकबा(बीघा)
6341	0.06	3818/4 मी.	–
6342	0.59	3818/4	3
6344	0.08	3818 मी.	–

इस प्रकार उक्त आराजी नम्बर 6341, 6342, 6344 साबिक मूल आराजी 3818 से ही बने है। आ.न. 6341, 6342, 6344 के बारे में मोके पर उपस्थित मोतबिरान एवं वादीगणो से कब्जा बाबत पूछताछ करने पर पाया कि आ.नं. 6342 व 6344 पर वर्तमान में श्री रामचन्द्र पिता शंकर वगैरह वादीगणों का आवटन वर्ष से लगातार कबजा काश्त है एवं आ.न. 6344 रकबा 0.08 हेक्टेयर पर वादीगणो के मकान (आवास), गोदाम, बाडा, दुकान आदि बने हुए हो कर निवासरत है। आ.नं. 6341 रकबा 0.06 हेक्टेयर पर श्री गौतम पिता वीरभाण कुम्हार का कब्जा हो कर पशुओ का बाडा बना हुआ है तथा इस पर वादीगणो का कभी कब्जा नही रहा है। आ.न. 6344 के सम्पूर्ण रकबे पर वादीगणो के मकान (आवास), गोदाम, बाडा, दुकान आदि बने हुए हो कर निवासरत है जिससे अधिक रकबा 0.02 हेक्टेयर कम नही किया जा सकता है। आ.न. 6342 रकबा 0.59 हेक्टेयर के उतरी पश्चिमी कोने में आ.न. 6341 के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर 5 मीटर की चोडाई में 0.02 हेक्टेयर भूमि बिलानाम किया जाना उचित है एवं इस बाबत वादीगण सहमत है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से सिद्व होता है कि आ.न. 6341 वादीगणो के आवंटन वर्ष से आज तक कभी अपने कब्जे में नही रहा एवं आ.न. 6344 पर वादीगणो का आवटन वर्ष से लगातार कब्जा हो कर वर्तमान में इसी आ.न. पर निवासरत है। अतः आ.न. 6344 रकबा 0.08 हेक्टेयर को बिलानाम से खातेदारी में किया जाना एवं आ.न. 6341 रकबा 0.06 हेक्टेयर को व आ.न. 6342 रकबा 0.59 हेक्टेयर के उत्तरी पश्चिमी कोने में आ.न. 6341 के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर 5 मीटर की चोडाई में 0.02 हेक्टेयर भूमि वादीगणो की खातेदारी से कम कर बिलानाम किया जाना उचित है। इससे सरकार को किसी प्रकार का रकबे का कोई नुकसाान नही होगा।

प्रार्थीगण श्री बद्रीलाल पिता किशन सुथार निवासी आकोला व अन्य ने उक्त प्रश्नगत भूमियों के संबंध में न्यायालय हाजा में पृथक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 136 के प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार, भूपालसागर ने जवाब दिनांक 16.03.2022 को प्रस्तुत [illegible] शामिल पत्रावली है। विचाराधीन उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 उक्त वाद संख्या 97/201[illegible] वर्णित भूमियों से संबंधित होने एवं चाही गई दाद समान प्रकृति की होने से प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ संलग्न किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.04.20 11:58:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने के उपरांत प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब दिनांक 26.07.2011 को प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित समस्त बिंदुओं को स्वीकार किया है। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया एवं मान. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रतिप्रेषित किये गये निर्देशानुसार प्रतिवादी संख्या 2 को सुना गया एवं तहसीलदार, भूपालसागर से नवीन मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रतिवादी संख्या 2 के जवाब दिनांक 26.07.2021 एवं तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 01.04.2022 में ग्राम आकोला की आ.सं. 6344 रकबा 0.08 है. भूमि पर श्री रामचन्द्र पिता शंकर मोहनलाल, बद्रीलाल, गणपत पिता किशना देउबाई पति किशना सुथार नि. आकोला को खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाने एवं आ.सं. 6341 रकबा 0.06 है. को व आ.सं. 6342 रकबा 0.59 है. के उत्तर पश्चिमी कोने में आ.सं. 6341 के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर 5 मीटर की चौड़ाई में 0.02 है. भूमि वादीगणों की खातेदारी से कम कर बिलानाम की जाने की सहमति दी है। अतः ग्राम आकोला की आ.सं. 6344 रकबा 0.08 है. भूमि पर श्री रामचन्द्र पिता शंकर 1/2, मोहनलाल, बद्रीलाल, गणपत पिता किशना देउबाई पति किशना 1/2 सुथार नि. आकोला को खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाते हैं एवं आ.सं. 6341 रकबा 0.06 है. को व आ.सं. 6342 रकबा 0.59 है. के उत्तर पश्चिमी कोने में आ.सं. 6341 के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर 5 मीटर की चौड़ाई में 0.02 है. भूमि वादीगणों की खातेदारी से कम कर बिलानाम की जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.04.20 11:58:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रपत्र –5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

प्रकरण संख्या : 97/2015
दायर दिनांक : 09/09/.2015
निर्णय दिनांक : 12/04/2022

उनवान

1. किशनलाल पिता शंकर सुथार निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
   1 (1) मोहनलाल पिता किशनलाल सुथार निवासी आकोला
   1 (2) बद्रीलाल पिता किशनलाल सुथार निवासी आकोला
   1 (3) गणपत पिता किशनलाल सुथार निवासी आकोला
   1 (4) देऊबाई पत्नी किशनलाल सुथार निवासी आकोला
2. रामचन्द्र पिता शंकर सुथार निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर
2. गौतम पिता वीरभाण कुम्हार निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल गुर्जर की व पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद मे आज दिनांक 12.04.2022 को श्रीमती भावना सिंह (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–ग्राम आकोला की आ.सं. 6344 रकबा 0.08 है. भूमि पर श्री रामचन्द्र पिता शंकर 1/2, मोहनलाल, बद्रीलाल, गणपत पिता किशना देउबाई पति किशना 1/2 सुथार नि. आकोला को खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाते हैं एवं आ.सं. 6341 रकबा 0.06 है. को व आ.सं. 6342 रकबा 0.59 है. के उत्तर पश्चिमी कोने में आ.सं. 6341 के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर 5 मीटर की चौड़ाई में 0.02 है. भूमि वादीगणों की खातेदारी से कम कर बिलानाम दर्ज की जावे। तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज दिनांक 12.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.04.20 11:58:49 IST
Reason: SelfAttested

(भावना सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	–	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–
1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–
2. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	–	प्लीडर की फीस	–
3. .... रूपये पर प्लीडर की फीस	–	साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–
4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	आदेशिका की तामिल	–
5. कमिश्नर की फीस	–	कमिश्नर की फीस	–
6. आदेशिका की तामिल	–		–
जोड	–	जोड	–

(भावना सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.04.20 11:58:49 IST
Reason: SelfAttested